दैनिक भास्कर पटना 02-02-2026

नई व्यवस्था लागू : बिल्डरों को सुविधा होगी

रेरा ने आसान की हाउसिंग प्रोजेक्ट की निबंधन प्रक्रिया

सिटी रिपोर्टर | पटना

रेरा बिहार ने प्रोजेक्ट निबंधन की प्रक्रिया को और सरल किया है। अब जो प्रमोटर प्रोजेक्ट निबंधन के लिए आवेदन देना चाहेंगे, उन्हें पोर्टल पर हर कदम पर मार्गदर्शन प्राप्त होगा। इससे वे सभी जरूरी सूचनाएं और दस्तावेज अपने आवेदन के साथ जमा कर सकेंगे। नई व्यवस्था की शुरुआत 1 फरवरी से की गई है। इस व्यवस्था के तहत दिए गए आवेदन को अलग-अलग खंडों में बांटा जाएगा।

इसमें प्रोजेक्ट से संबंधित जानकारी, नक्शे का विवरण, जमीन से संबंधित दस्तावेज, वित्तीय जानकारी, अनापत्ति प्रमाणपत्र को बांटा गया है। आवेदन की प्रति का प्रिंटआउट भी प्राप्त कर सकते हैं। नई व्यवस्था लागू करने से पहले बिल्डरों से सुझाव मांगे गए थे। बैठक भी की गई थी। रेरा बिहार के अध्यक्ष विवेक कुमार सिंह ने बताया कि पिछले एक-दो वर्षों में निबंधन प्रक्रिया को सरल बनाने की दिशा में अनेक कदम उठाए गए हैं। सुझावों के आधार पर सुधार की प्रक्रिया जारी रहेगी।

बदलाव के फायदे

- **प्राप्त आवेदनों का कम से कम समय में निपटारा होगा।**
- बिल्डर अपने प्रोजेक्ट का कार्य सुगमतापूर्वक शुरू कर सकेंगे।
- **खरीदारों को उनका घर समय पर मिल सकेगा।**
- पारदर्शिता बढ़ेगी। प्रोजेक्ट्स की जानकारी अधिक सुलभ होगी।
- **अब जमीन का भौतिक सत्यापन अनिवार्य है, जो फर्जी रजिस्ट्री को रोकेगा।**